भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †4864

दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों पर हमले

†4864. श्री बालक नाथः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय स्टॉफ के प्रति अपराधों, अत्याचारों और हमलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं तथा कितने मामले सुलझाए गए हैं/कितने अनुसुलझे हैं, एवं कितने दोषियों को गिरफ्तार किया गया, एवं कितने दोषसिद्ध हुए हैं और दोषियों के विरुद्ध पृथक-पृथक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को कोई सलाह जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यक्तियों पर ऐसे हमले/अत्याचारों में किस सीमा तक कमी आई है;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस दिल्ली विश्वविद्यालय में अत्याचारों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक

30.06.2019 तक) के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों, अत्याचारों और हमले से संबंधित इस प्रकार की घटनाओं के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है और उसने एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालय स्टाफ के प्रति किसी भी प्रकार के अप्रिय कृत्य को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।

(ग) और (घ): उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए दिनांक 26.06.2019 को दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों को अनुदेश दिया है और सभी विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय के अधिकारियों/संकाय सदस्यों को जातिगत भेदभाव की घटनाओं से निपटते समय अधिक संवेदनशील होने की सलाह देने का अनुरोध किया है। यूजीसी ने "एचईआई के परिसरों के भीतर और बाहर विद्यार्थियों की सुरक्षा" के संबंध में दिनांक 16.04.2015 को दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्यार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और चुनौतियों के प्रभावशाली समाधान के लिए सभी एचईआई द्वारा "विद्यार्थी परामर्श प्रणाली" शुरू करना शामिल है। ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में अन्य बातों

के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के मुख्य द्वारों पर नियमित आधार पर पर्याप्त पुलिस कार्मिक तैनात करना, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान तैनाती में वृद्धि करना, विश्वविद्यालय स्टाफ के साथ-साथ विद्यार्थी यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना और चूककर्ताओं के विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई शुरू करने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए जमीनी स्तर पर सभी संभव निवारक उपाय करने के लिए सभी सहायक पुलिस आयुक्तों/एसएचओ को निर्देश देना शामिल है।

(च): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अत्याचारों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों का अक्षरशः कार्यान्वयन किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी के विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

******